संख्या- 53/26-ब0प्र0-2014-48(पी)/2013

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 30 जनवरी, 2014

विषय:- अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत स्थापित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरौडा, सहारनपुर के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-440/तीन/वि-4-2006-07/एस.सी.पी./हरौडा/2006(25) दिनांक 02 दिसम्बर, 2013 के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति सब प्लान (अनुदान संख्या-83) के अन्तर्गत स्थापित किये गये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरौडा, सहारनपुर के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010, दिनांक 29.3.2013 द्वारा सामान्य मृदा के लिए निर्धारित मानकीकृत लागत रू0 487.89 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- प्रश्नगत संस्थान के भवन का निर्माण, कार्यदायी संस्था "पैकफेड" द्वारा किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उ0प्र0 लखनऊ द्वारा समय से आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था को राजकीय औ0 प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निर्माण इकाई द्वारा कार्य को स्वीकृत लागत में यथा समय पूरा कराया जायेगा ताकि टाईम/कास्ट ओवर रन न होने पाये।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या-1201/89-व्या0शि0-2013-5(पी)/2010 दिनांक 29.3.2013 द्वारा मानकीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुरूप किया जायेगा।

5- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जोयगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6- कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व विभाग का होगा।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि डाकघर/बैंक खाता/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्यके दशा में उसी कार्य/ मद में किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा जिसका उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

9- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन यह सुनिश्चित करेगें कि भूमि का हस्तान्तरण विभाग के पक्ष में हो गया है और राजस्व अभिलेखों में तदद्यनुसार दर्ज किया जा चुका हैं।

11- यदि किसी साइड पर मिटटी भराये जाने की आवश्यकता है तो इस कार्य को कराने के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम की उपस्थिति में लेबर लेने और डिटेल स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त ही इस प्रकार का व्यय अनुमन्य होगा।

12- वर्तमान में स्वीकृत साधारण मृदा के आधार पर निर्गत की जा रही है। यदि साइड पर मृदा टेस्ट के आधार पर काली कपास/ साल्ट पीटर मृदा की स्थिति की पुष्टि होती है तो तदनुसार निदेशक के माध्यम से सुविचारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर पुनरीक्षित स्वीकृति जारी करने पर विचार किया जायेगा।

13- नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि को आहरित किया जायेगा।

14- कार्यदायी संस्था को नियमानुसार निर्धारित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज दिया जायेगा तथा लेबर सेस की निर्धारित धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

15- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के उपरान्त सुनिश्चित करेगें।

16- स्वीकृत धनराशि 02 समान किश्तों में आहरित की जायेगी। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग होने के उपरान्त ही द्वितीय किश्त का आहरण सुनिश्चित किया जायेगा।

17- स्वीकृत धनराशि के मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप में वित्त विभाग एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग को प्रतिमाह उपलब्ध कराये जायेगें तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

18- इस समबन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9(पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-217/दस-2014, दिनांक 27 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक:: यथोक्त।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 53(1)/26-ब0प्र0-2014-तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
7. सम्बन्धित जनपद के नोडल प्रधानाचार्य, रा0औ0प्र0संस्थान द्वारा निदेशक।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से
(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in